

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी परतापुर मेरठ।

पत्रांक :- एफएफओ/शैक्षिक-13/क्रियाशीलता/2015

दिनांक: 24.01.2015

सेवा में,

आकूपायर/प्रबन्धक

मैसर्स रायजादा धर्मदास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी,
वेदव्यासपुरी, सेक्टर-1, बाईपास रोड,
मेरठ।

विषय: मैसर्स रायजादा धर्मदास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी,
वेदव्यासपुरी, सेक्टर-1, बाईपास रोड, मेरठ प्रतिष्ठान में स्थापित
अग्निशामक उपकरणों की कार्यशीलता के प्रमाणीकरण के संबंध में।

सन्दर्भ: आपके प्रार्थना पत्र संख्या - निल दिनांक : 21.01.2015

उपरोक्त संदर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 21.01.2015 के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 15 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या : 1120(1)/आठ, दिनांक 27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रूपये 150/- भारतीय स्टेट बैंक शाखा कैंट जनपद मेरठ में चालान संख्या : M040088 दिनांक : 23.01.2015 द्वारा जमा कराया गया। रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 15 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र. सं.	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1	ए0बी0सी0 स्टोर्ड प्रैसर	05 किग्रा0	15	कार्यशील

इस प्रकार आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता उपरोक्तानुसार पायी गयी, अतः प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता प्रमाणित की जाती है, शेष सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार वांछनीय होंगी तथा समय-समय पर इनकी कार्यशीलता प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/स्वामी का होगा। उपरोक्तानुसार पालन न करने की दशा में निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। अतः प्रतिष्ठान में उपरोक्तानुसार अधिष्ठापित अग्निशामक उपकरणों की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष तक के लिए निर्गत किया जाता है। इसे भवन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा।

24-01-2015
अग्निशमन अधिकारी,

परतापुर, मेरठ।

अग्निशमन अधिकारी

परतापुर, मेरठ